<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डों पर गैर वैमानिक कार्यकलापों में आक्रामक शुरुआत</u>

<u>नई दिल्ली 21 मई, 2015 :</u> भाविप्रा के नए अध्यक्ष श्री आर.के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से, के मार्गदर्शन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने फरवरी 2015 से कई नए साहसिक कदम उठाए हैं जिससे हवाई अड्डों पर यात्रियों के अनुभव को और समृद्ध एवं ग्राहक मैत्रीपूर्ण बनाया जा सके। विभिन्न हवाई अड्डों पर कई नई सेवाएं जैसे मीट एण्ड ग्रीट सेवा (स्वागत सेवा), कला दीर्घा, वाई-फाई, बैगेज रेपिंग सेवा, खान-पान एवं सामान्य रिटेल सेवाएं आकार ले रही हैं।

स्वागत सेवा(मीट एण्ड ग्रीट सेवाएं) - इस सेवा के अंतर्गत सेवा परिचारकों को हवाई अड्डों पर तैनात किया जाएगा ताकि वे आवज़्रन प्रक्रिया के दौरान यात्रियों की सहायता कर सकें, तत्काल चैक-इन एवं टैक्सी बुकिंग में उनकी मदद कर सकें तथा हवाई अड्डे के भीतर व आस-पास के क्षेत्र में यात्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकें। बुजुर्ग यात्रियों, अकेले बच्चों, पहली बार यात्रा करने वालों तथा व्हीलचेयर वाले यात्रियों की देखभाल के लिए स्टाफ को विशेष रुप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

कला दीर्घा - भारत के प्रशिक्षु एवं उदीयभान कलाकारों की कलाकृतियों को प्रायोजित एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भाविप्रा ने विभिन्न हवाई अड्डों पर कला दीर्घाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह हवाई अड्डों पर खाली जगह पर स्थापित की जाएगी। इन कलाकृतियों में मूर्तिकला अथवा कला के किसी भी अन्य रुप को शामिल किया जाएगा तथा ये केवल चित्रकला तक ही सीमित नही रहेंगी। कलाकार को अपनी कलाकृति पर "बिकाऊ है" अंकित करने का अधिकार रहेगा। कलाकृति पर उसका मूल्य अंकित होगा।

वाई-फाई प्रणाली - 10 हवाई अड्डों पर पहले ही बेतार इंटरनेट कनैक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष हवाई अड्डों पर यह आगमन, प्रस्थान तथा सामान्य विमानन टर्मिनलों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सेवा लाउंजों में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। वाई-फाई सेवा प्रथम 30 मिनट के लिए निःशुल्क रहेगी तत्पश्चात प्रति 24 घण्टों के लिए रु20/- का शुल्क लिया जाएगा। टर्मिनल भवन में अतिरिक्त वायरलैस पहुंच स्थल, संबंधित फर्म की मूल्यनिर्धारण नीति के अनुसार रहेंगे।

प्रोटेक्टाबैग-बैगेज रैपिंग सुविधा- बैगेज रैपिंग मशीन से बैगेज की सुरक्षा में सहायता मिलेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि सूटकेस, डिब्बे, गोल्फ क्लब, पीठ पर लटकाने वाले बैग, बच्चों की गाड़ी, कार सीट तथा अन्य कोई स्मृति चिन्ह चैक-इन से पूर्व अच्छी तरह से रैप कर दिए गए हैं। मशीन द्वारा बैग के चारों तरफ प्लास्टिक की मजबूत झिल्ली लपेटी जाएगी जिससे सामान के अंदर कुछ डालने या बाहर निकालने से बचाव हेतु सुरक्षित आवरण तैयार हो जाएगा।

प्रोटेक्टांबैग आवरण से जल से बचाव, रफ हैंडलिंग नुकसान से बचाव एवं किसी ढीली पट्टी को कसने- ताकि कन्वे यर बेल्टन रोलरों पर सामान को क्षति पहुँचने की संभावना को कम किया जा सके, की सुविधा भी प्राप्तट होती है । प्रोटेक्ट्बैग सामान की चैन के स्वित: खुल जाने के प्रभावों से बचाता है तथा सामान के कमजोर होने पर उसे मजबूती प्रदान करता है । प्रोटेक्टाबैग एक मिनट से भी कम समय में सामान पर आवरण चढ़ा देता है तथा सामान के हैंडल व पहियों को इससे मुक्तम रखता है ताकि इनका सामान्या ढंग से प्रयोग किया जा सके ।

हवाईअड्डों पर सामान्य खुदरा सेवाओं के साथ खान-पान: दोनों सेवाओं में ब्रांडों को आकर्षित करने तथा साथ ही स्थायनीय उपभोक्ता ओं एवं उत्पानदकों को उपलब्धव कराने के लिए खान-पान एवं खुदरा सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडो अवधारणा सभी हवाईअड्डों पर लाई जा रही है । हवाईअड्डे की खान-पान सेवाओं में सभी खान-पान आउटलेटों, स्नै क बारों, मिठाई एवं नमकीन आउटलेटों, चॉकलेट, खुदरा शराब बार तथा फूड वेंडिंग मशीनों एवं रेस्तारा इत्या दि सहित सभी खाद्य मर्चेंडाइजों के लिए लाइसेंस जारी करना शामिल है । सामान्यड खुदरा सेवाओं में सभी दुकानें, उपहार सोवेनियर एवं खिलौने, ट्रेवेलर, नान-प्रिस्क्रिप्संन/ प्रेसक्राइण्ड् ड्रग्स. की दुकानें, पर्सनल केयर उत्पांद/ कॉस्मेटिक्से/फ्रेगटेंश, कपड़े एवं फैशन वियर शामिल हैं ।

हवाईअड्डों पर बिजनेस लाउंज- हवाईअड्डों पर बिजनेस लाउंजों की उपलब्धेता की सुविधा को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से हवाईअड्डों पर इन सुविधाओं को उपलब्धे कराने हेतु प्रतिष्ठित एजेंसियों को आकर्षित करने के लिए भाविप्रा ने पात्रता मानदण्ड् को और विस्तृत कर दिया है । संविदा की अवधि 5 साल के लिए तय कर दी गई है जिसे अगले और 5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है । सामान्य विमानन, होटल उद्योग, एयरलाइनों, मीट एंड ग्रीट एजेंसियों के रूप में कार्यरत एजेंसियां, एयरपोर्ट लाउंज प्रचालकों एवं ऐसी एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम इस बिड में शामिल होने हेतु पात्र होंगी ।

....

जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें।
महाप्रबंधक जनसंपर्क, भाविप्रा 9810025069,011-24622787
सं- 13/2015-16